दो रुपये TWO RUPEES कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 INDIA (×4)

विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश मोती महल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कंमाक- /2019 निगरानी
पुनर्स्थापन- 0238/2019/ग्वालियर/भू.रा.

(62)

ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, निवासी-1, रवि नगर ग्वालियर म.प्र.

.....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

श्री देवेन्द्र शर्मा
द्वारा आज दि. 4-2-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-2-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-2-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. मानसिंह पुत्र श्रीलक्ष्मण सिंह, निवासी- सोड़ा का कुँआ किलागेट, ग्वालियर म.प्र.
2. बालमुकुन्द पुत्र श्री नादरिया, निवासी- सोड़ा का कुँआ, किलागेट, ग्वालियर म.प्र.
3. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर म.प्र.

Notice 05/02/19
04/02/19

.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) सहपठित धारा 32 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

सम्माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है कि :-

59

1. यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर अन्तर्गत प्रकरण कंमाक-179/11-12/अपील प्रस्तुत की गई थी।

04/02/19

श्रीमती मीना चतुर्वेदी
नोटरी, ग्वालियर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन 238/2019/ग्वालियर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-02-19	आवेदक अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शर्मा उपस्थित । उन्हें धारा 5 व रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा रेस्टोरेशन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब कारण समाधानकारक होने से विलम्ब क्षमा करते हुये रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 313-पीबीआर/2015 जिला ग्वालियर पुन: नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	